



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर नगर निगम, वार्ड नं. 99, जयपुर के स्वास्थ्य निरीक्षक व एक प्राईवेट व्यक्ति को 5,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

जयपुर, 14 मई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर-द्वितीय ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दिनेश कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड नं. 99, नगर निगम, जयपुर व श्री प्रकाश चन्द, प्राईवेट व्यक्ति को 5,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ए.सी.बी. जयपुर नगर-द्वितीय इकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि दिनेश कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक, वार्ड नं. 99, नगर निगम, जयपुर व प्रकाश चन्द, प्राईवेट व्यक्ति द्वारा मिलीभगत कर परिवादी की माह मार्च 2026 की सैलरी बनाने की एवज में प्रतिमाह 5 हजार की रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि लेने हेतु दबाव बनाया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय श्री ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर-द्वितीय की टीम द्वारा उक्त शिकायत का सत्यापन करवाने पर दौरान सत्यापन परिवादी से 5,000/- रुपये प्रतिमाह लेने हेतु सहमत होने पर आज दिनांक 14.05.2026 को श्री भूपेन्द्र, अति. पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में श्री अभिषेक पारीक पुलिस उप अधीक्षक मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये दिनेश कुमार हाल स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नम्बर 99, नगर निगम जयपुर व प्रकाश चन्द हाल दुकानदार दुकान प्रकाश हौजरी, कार्यालय वार्ड नं. 99, नगर निगम जयपुर के पास रेल्वे स्टेशन, जयपुर को परिवादी से 5,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।